सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का द्वितीय सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का द्वितीय सत्र शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 2014 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 26 अगस्त, 2014 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
द्वितीय सत्र	17	जुलाई माह - 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 व 31 अगस्त माह - 1

सदस्यों के त्याग–पत्र की सूचना

सत्र के दौरान चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र कोटा-दक्षिण से निर्वाचित सदस्य श्री ओम बिरला, वैर से निर्वाचित सदस्य श्री बहादुर सिंह, सूरजगढ़ से निर्वाचित सदस्य श्रीमती संतोष अहलावत तथा नसीराबाद से निर्वाचित सदस्य श्री सांवर लाल द्वारा लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के कारण प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 173(2) के अन्तर्गत दिनांक 29 मई, 2014 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया गया है। माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 11 जुलाई, 2014 को इन सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार करने की सूचना सदन में दी।

अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर लाल डूडी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि 'आज की तारीख में सरकार अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान विधान सभा का चुनाव परिणाम 8 दिसम्बर, 2013 को घोषित किया गया तत्पश्चात् मुख्य मंत्री महोदया ने 13 दिसम्बर, 2013 को शपथ ग्रहण की। श्री सांवरलाल जाट ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, तत्समय उन्होंने विधान सभा के सदस्य की शपथ ग्रहण नहीं की थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि 6 माह तक कोई भी व्यक्ति मंत्री रह सकता है। इनके 6 माह 20 जून, 2014 को हो चुके हैं। आज की तारीख में सरकार स्वतः ही अस्तित्व में नहीं है, उसमें कहीं न कहीं संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया है।'

इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि 'सत्ता पक्ष के इधर जो 12 मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं यह रूलिंग देता हूँ कि सत्ता पक्ष के इधर जो बैठे हैं वह 12 मंत्री हैं और 12 मंत्री ही उपस्थित हैं। कोई संवैधानिक संकट नहीं है। सरकार संवैधानिक स्थिति में है।'

दिनांक 14 जुलाई, 2014 को माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'प्रतिपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के विधायकों द्वारा राज्य सरकार के अस्तित्व में नहीं होने एवं केबिनेट मंत्री श्री सांवरलाल जाट के मंत्री पद को अमान्य करने का आधारहीन तर्क दिया था। मैंने उसी दिन इस विषय में अपनी रूलिंग दे दी थी।

भारतीय संविधान के अनुसार देश व प्रदेशों में संसद व विधान मण्डलों के चुनाव का दायित्व चुनाव आयोग को दिया गया है।

संविधान के अन्तर्गत यह उद्देश्य पूरा करने के लिए संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग की रचना की गई है और चुनाव आयोग को सम्पूर्ण देश में चुनाव करा कर संसद सदस्यों तथा विधान मण्डलों के सदस्यों को निर्वाचित घोषित करने का अधिकार दिया गया है व चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर संसद सदस्यों एवं विधान मण्डलों के सदस्यों के नाम अधिसूचना के द्वारा घोषित किये जाते हैं। यह अधिसूचना ना केवल भारत में बल्कि विश्वभर में सांसद व विधायक होने का एक मान्यता प्राप्त प्रमाणिक दस्तावेज है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना के उपरान्त केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के गठन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह परिपाटी व परम्परा संवैधानिक सरकारों की स्थापना के साथ ही इस देश में लागू है।

राजस्थान में विधान सभा के चुनाव की मतगणना दिनांक 8 दिसम्बर, 2013 को हुई और विजयी विधायकों के नाम चुनाव आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई। यह अधिसूचना एक ऐसा दस्तावेज है जिसको पूरी संवैधानिकता प्राप्त है। इस अधिसूचना में राजस्थान के नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र से श्री सांवरलाल जाट को विधायक के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। अतः दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 के बाद श्री सांवरलाल जाट की विधायक के बारे में किसी प्रकार की शंका की ही नहीं जा सकती और वे असंदिग्ध रूप से विधायक के रूप में इस विधान सभा के सदस्य हैं व विधायक के रूप में उन्हें दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को श्रीमंत वसुन्धरा राजे मुख्य मंत्री द्वारा अपने मंत्रिमण्डल में मंत्री के रूप में शपथ दिलवाकर सम्मिलित किया गया है।

अतः प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस के विधायकों द्वारा 20 दिसम्बर, 2013 को उनका विधायक नहीं होने का तर्क नितान्त आधारहीन किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मुझे अफसोस है कि देश में इस स्थापित व्यवस्था के प्रति कांग्रेस अपने कुतर्कों द्वारा भ्रम फैला रही है।

मैं एक उद्धरण देना चाहता हूँ आज विधायक के रूप में इस विधान सभा के सदस्य श्री अशोक गहलोत को कांग्रेस हाई कमान ने राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री शिवचरण माथुर के मंत्रीमंडल में सम्मिलित करवाया था। उस समय श्री अशोक गहलोत लोक सभा सदस्य भी थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत विधायक नहीं होते हुए भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था और वे 6 माह पूरे होने के पहले ही मंत्री पद छोड़कर पुनः दिल्ली चले गये।

यही स्थिति आज केबिनेट मंत्री श्री सांवरलाल जाट की है, वे दिनांक 29.5.2014 तक विधायक के रूप में मंत्री रहे और 29.5.2014 के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मंत्री पद पर आसीन हैं और इस मंत्री पद पर दिनांक 28.11.2014 तक आसीन रह सकते हैं। उसके बाद स्वतः ही मंत्री पद से अलग हो जाने का संवैधानिक प्रावधान है। ऐसी स्थिति में सभी कसौटियों पर अकाट्य रूप से उनका मंत्री पद पर होना संदेह से परे है। इस तरह से वे मंत्रिमंडल के 12 सदस्यों में एक सम्मानित सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के अस्तित्व पर उँगली नहीं उठाई जा सकती।

मैं एक दूसरा उदाहरण और देना चाहूँगा। वर्ष 1980 के जून माह में राजस्थान में हुए विधान सभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आई और उस समय कांग्रेस हाईकमान ने उस बहुमत में सम्मिलित किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री होने का पात्र नहीं माना व दिल्ली से श्री जगन्नाथ पहाड़िया को मुख्य मंत्री का दायित्व संभालने के लिए भेजा। श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने दिनांक 6.6.1980 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस समय वे विधान सभा के सदस्य नहीं थे और संसद सदस्य थे तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) का लाभ लेते हुए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वे दिनांक 24.11.1980 को विधायक चुन लिये गये। तब श्री जगन्नाथ पहाड़िया दिनांक 6.6.1980 से 23.11.1980 तक बिना विधायक पद पर रहते मुख्यमंत्री रहे। दिनांक 24.11.1980 से 14.7.1981 तक विधायक के रूप में मुख्य मंत्री रहे।

प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस के विधायकों का आज पैदा किया जा रहा आधारहीन कुतर्क उस समय पैदा किया होता तो श्री जगन्नाथ पहाड़िया 6.12.1980 को हटा दिये जाते तो क्या दिनांक 6.12.1980 से 14.7.1981 तक की उनकी सरकार अवैधानिक थी ? इस तरह श्री जगन्नाथ पहाड़िया को विधायक बनने के पहले संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों का लाभ मिला और श्री सांवरलाल जाट को 29.5.2014 के बाद विधायक नहीं रहने पर भी मंत्री बने रहने का संविधान के प्रावधान 164(4) का लाभ मिल रहा है।

अतः मैं राजस्थान सरकार के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ और श्री सांवरलाल जाट को मंत्री परिषद् के एक सम्मानित सदस्य की मान्यता देता हूँ और प्रतिपक्ष के औचित्य के प्रश्न को पूरी तरह खारिज करता हूँ।'

सत्र के दौरान दिनांक 25 जुलाई, 2014 को एक अन्य व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने आज शून्यकाल में लिए जाने वाले विषयों यथा - स्थगन प्रस्तावों, प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनायें, पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय यथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, याचिकाओं का उपस्थापन एवं समिति के प्रतिवेदनों के उपस्थापन सम्बन्धी कार्य को 26 जुलाई, 2014 को सदन में लिए जाने की व्यवस्था दी।

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर व्यवस्था

द्वितीय सत्र के दौरान दिनांक 22 जुलाई, 2014 को श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सदन में विचार प्रकट करते हुए यह कहा गया कि उन्होंने दिनांक 21 जुलाई, 2014 को शून्यकाल के दौरान थाना-टहला, जिला

अलवर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 118/2014 एवं इसी सम्बन्ध में थाना-सिरोही, जिला अलवर में दर्ज एक अन्य एफ.आई.आर. संख्या 161/2014 के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये थे। जिसके फलस्वरूप डॉ. किरोड़ी लाल उत्तेजित हो गये। कुछ समय पश्चात् उसी दिन जब वे विधान सभा के पश्चिम द्वार के बाहर खड़े थे, डॉ. किरोड़ी लाल दौड़कर उनके नजदीक आये और उन्हें अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।

माननीय अध्यक्ष ने इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर व्यवस्था देते हुए कहा कि यह मामला अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है, इसके साथ ही माननीय सदस्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। मैं इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को प्रक्रिया के नियम-162 के अन्तर्गत जाँच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूँ तथा राज्य सरकार से भी यह चाहूँगा कि माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये।

दिनांक 1 अगस्त, 2014 को सदस्य श्री बनवारी लाल सिंघल एवं श्रीमती अलका सिंह ने समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 1 अगस्त, 2014 के जयपुर संस्करण के मुखपृष्ठ पर 'विधायक पूछ रहे हैं फायदे के लिए सवाल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार से सम्बन्धित विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'श्री बनवारी लाल सिंघल एवं श्रीमती अलका सिंह, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम-157 के अन्तर्गत दैनिक भास्कर में आज दिनांक 1 अगस्त, 2014 के जयपुर संस्करण के मुख पृष्ठ पर उनके द्वारा सदन में उठाये गये जनहित के मुद्दों को लेकर प्रकाशित समाचार से सम्बन्धित दो पृथक-पृथक विशेषाधिकार हनन मुझे प्राप्त हुए हैं। इन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया जाँच करवा रहा हूँ। क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण और गम्भीर विषय है, मीडिया से भी है और विधान सभा से भी है। तत्पश्चात् ही मैं गुणावगुण के आधार पर इन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दूँगा।'

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न विषय पर सदन में वक्तव्य दिया गया -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री गुलाबचन्द कटारिया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	25.7.2014	बीकानेर सेन्ट्रल जेल में हुई फाइरिंग से कैदियों की मौत के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर 7 सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहे जिनका मंत्री ने उत्तर दिया।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 148 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 4817 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2448 प्रश्न प्रस्तुत किये

गये जिनमें से 305 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये । 16 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 2 सदस्यों ने 39-39, 4 सदस्यों ने 38-38, 3 सदस्यों ने 37-37 तथा शेष 97 सदस्यों ने 36 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती अलका सिंह ने सर्वाधिक 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 6-6 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती अनिता भदेल एवं श्रीमती अनीता के थे।

उक्त के अतिरिक्त 2369 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 415 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। 11 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सर्वाधिक 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने 57 एवं डॉ. राजकुमार शर्मा ने 54 तथा शेष 111 सदस्यों ने 53 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 14 प्रश्न डॉ. किरोड़ी लाल के सूचीबद्ध हुए । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 9 प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 173 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं ऊर्जा विभाग, 161 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 160 प्रश्न शिक्षा विभाग तथा 150 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 33 प्रश्न खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा 29 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 26 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं 25 प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 173 प्रश्न शिक्षा विभाग, 145-145 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 140 प्रश्न ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 42 प्रश्न शिक्षा विभाग, 32 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 29-29 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो द्वितीय सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 1929 तारांकित प्रश्नों में से 251 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 261 में से 29, निर्दलीय सदस्यों के 163 में से 14, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 51 में से 8 तथा बहुजन समाज पार्टी के 33 में से 3 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि एनयूजेडपी के 11 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 1753 प्रश्नों में से 314 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 317 में से 62, निर्दलीय सदस्यों के 187 में से 15 तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों के 101 में से 24 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य द्वारा दिये गये 6 तथा एनयूजेडपी के 5 प्रश्नों में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो पाया।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 344 तारांकित प्रश्नों में से 41 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 254 अतारांकित प्रश्नों में से 31 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2104 तारांकित प्रश्नों में से 264 तथा 2115 अतारांकित प्रश्नों में से 384 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 291 तारांकित प्रश्नों में से 37 तथा 215 अतारांकित प्रश्नों में 21 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इनेकां महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 9 तारांकित प्रश्नों में से कोई प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 10 तारांकित प्रश्नों में से 3 एवं 34 अतारांकित प्रश्नों में से 10 तथा निर्दलीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 23 तारांकित प्रश्न में से एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। एनयूजेडपी के सदस्यों द्वारा 11 तारांकित तथा 5 अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो पाया। वहीं निर्दलीय तथा इनेकां की महिला सदस्यों ने कोई भी अतारांकित प्रश्न नहीं दिया।

सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 78 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 8 प्रश्नों पर दिनांक 16 जुलाई, 2014 को चर्चा हुई।

आधे घण्टे की चर्चा

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 1 अगस्त, 2014 को श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य के घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियों विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 168(396/ऊर्जा) का उत्तर जो दिनांक 24 जुलाई, 2014 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी। ऊर्जा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की गई।

स्थगन प्रस्ताव

द्वितीय सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत 17 माननीय सदस्यों के 57 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 22 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 9 सदस्यों ने 31 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्यों ने 7 प्रस्ताव, नेशनल पीपुल्स पार्टी के 2 सदस्यों में से डॉ. किरोड़ी लाल ने 3 तथा श्रीमती गीता वर्मा ने एक प्रस्ताव, 3 निर्दलीय सदस्यों ने 14 प्रस्ताव तथा नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी की श्रीमती सोना देवी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीन महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 6 प्रस्तावों में से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने सर्वाधिक 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। सर्वाधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री धीरज गुर्जर ने क्रमशः 8 व 6 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 98 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 158 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 121 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा शेष 37 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 80 सदस्यों ने

132, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 10 सदस्यों ने 16, 3 निर्दलीय सदस्यों ने 3, 2 बसपा के सदस्यों ने 3, 2 नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्यों ने 2 तथा नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी की श्रीमती सोनादेवी द्वारा दो सूचनायें प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 29 सूचनाएँ 17 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 14 सदस्याओं ने 25 सूचनाएँ तथा इनेकां, नेशनल पीपुल्स पार्टी एवं नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी के एक-एक सदस्य ने 4 सूचनाएं प्रस्तुत कीं। महिलाओं में सर्वाधिक 3-3 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती अनिता भदेल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती कमसा ने प्रस्तुत कीं। भारतीय जनता पार्टी के 8 पुरूष सदस्यों ने सर्वाधिक 3-3 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। 38 सदस्यों ने 2-2 तथा शेष 49 सदस्यों ने एक-एक सूचना प्रस्तुत की। श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा एवं श्री शुभकरण चौधरी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अभ्युक्ति दी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 39 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 53 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 39 विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा अभियुक्ति दी गई। भारतीय जनता पार्टी के 32 सदस्यों द्वारा 43 विषय, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 5 सदस्यों ने 8 विषय तथा निर्दलीय म. श्री रणधीर सिंह भीण्डर एवं बसपा के श्री मनोज कुमार ने एक-एक विषय उठाया। 5 महिला सदस्यों ने 8 विषय सदन में उठाये। इनमें से 4 भाजपा सदस्यों ने 7 तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने एक विषय सदन में उठाया। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 2-2 विषय भाजपा की श्रीमती अमृता मेघवाल एवं श्रीमती सोनादेवी ने उठाये। सर्वाधिक 3-3 विषय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा तथा श्री केसाराम चौधरी ने उठाये। 10 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 27 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय उठाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

द्वितीय सत्र के दौरान 10 माननीय सदस्यों ने 11 विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अलका सिंह ने सर्वाधिक 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये शेष सभी सदस्यों ने एक-एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 36 माननीय सदस्यों ने 86 याचिकाओं का उपस्थापन किया। याचिकायें प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 33 सदस्यों ने 83 याचिकायें, बसपा के श्री मनोज कुमार, इनेकां के श्री मेवाराम जैन एवं निर्दलीयम. रणधीर सिंह भीण्डर ने एक-एक याचिका प्रस्तुत की। याचिका प्रस्तुत करने वाली सभी 13 महिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी की थीं। सर्वाधिक 10 याचिकाएँ श्री भागीरथ चौधरी, तथा उनके पश्चात् श्री बाबूसिंह राठौड़ ने 6 तथा श्रीमती अलका सिंह ने 4 याचिकाएँ

प्रस्तुत कीं। शेष याचिकाओं में 4 सदस्यों ने 4-4, 7 सदस्यों ने 3-3, 10 सदस्यों ने 2-2 एवं 13 सदस्यों ने एक-एक याचिका प्रस्तुत की।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 25 जुलाई, 2014 को बीकानेर सेन्ट्रल जेल में हुई फाइरिंग से कैदियों की मौत के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर पहले शासकीय वक्तव्य दिलाये जाने की अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा हंगामा करने से अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इस पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।
2. दिनांक 26 जुलाई, 2014 को प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग संख्या -16 पुलिस एवं मांग संख्या - 17 कारागार पर विचार रखने हेतु पर्याप्त समय नहीं देने के विरोध में सदन की वैल में धरना दिया जिससे सदन में अव्यवस्था व्याप्त हो गई।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

द्वितीय सत्र के दौरान दिनांक 30 जुलाई, 2014 प्रतिपक्ष के नेता श्री रामेश्वरलाल डूडी ने दिनांक 26 जुलाई, 2014 को श्री मदन राठौड़, सदस्य विधान सभा द्वारा पुलिस द्वारा वांछित एक अपराधी को अपनी कार में बिठाकर विधान सभा भवन परिसर में लाने के आरोप लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।

सूखे की स्थिति पर विचार

द्वितीय सत्र के दौरान दिनांक 1 अगस्त, 2014 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में हुई चर्चा में 12 सदस्यों ने भाग लिया तथा श्री कटारिया ने सूखे की स्थिति पर हुए वाद-विवाद पर सरकार की ओर से उत्तर दिया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

द्वितीय सत्र के दौरान कार्य सलाहकार समिति के चार, जन लेखा समिति के 30, राजकीय उपक्रम समिति ने 15 तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति और प्राक्कलन समिति 'क' का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

सदन से बहिर्गमन

दिनांक 25 जुलाई, 2014 को बीकानेर सेन्ट्रल जेल में हुई फाइरिंग से कैदियों की मौत के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया के वक्तव्य एवं स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

सदन में धरना

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 जुलाई, 2014 को प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अनुदान की मांग संख्या -16 पुलिस एवं मांग संख्या - 17 कारागार पर विचार रखने हेतु पर्याप्त समय नहीं देने के विरोध में सदन की वैल में धरना दिया।

वित्तीय कार्य

(क) परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2014-15

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 14 जुलाई, 2014 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 का उपस्थापन किया । परिवर्तित आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 86 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । प्रथम दिन दिनांक 15 जुलाई, 2014 को 16; 16 जुलाई, 2014 को 25; 17 जुलाई, 2014 को 33 तथा 18 जुलाई, 2014 को 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । दिनांक 18 जुलाई, 2014 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चर्चा का उत्तर दिया। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 70, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 9, बसपा के 2, 3 निर्दलीय एवं ने.पी.पा. तथा एनयूजेडपी के एक-एक सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में 12 महिला सदस्यों ने भाग लिया जिसमें से 10 भाजपा की सदस्यों ने तथा श्रीमती शकुन्तला रावत एवं श्रीमती सोनादेवी ने भाग लिया।

(ख) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 28 जुलाई, 2014 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
19	लोक निर्माण कार्य	19.7.2014	131	39
21	सड़कें एवं पुल	19.7.2014	292	39
36	सहकारिता	21.7.2014	170	38
37	कृषि	21.7.2014	178	38
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	21.7.2014	188	38
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	22.7.2014	339	44
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	23.7.2014	356	39
32	नागरिक आपूर्ति	23.7.2014	183	39
28	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	24.7.2014	227	35

49	स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	24.7.2014	137	35
50	ग्रामीण रोजगार	24.7.2014	137	35
46	सिंचाई (इ.गां.न. परि. सहित)	25.7.2014	281	36
16	पुलिस	26.7.2014	312	21
17	कारागार	26.7.2014	143	21
42	उद्योग	28.7.2014	213	31
43	खनिज	28.7.2014	169	31

विधायी कार्य

(क) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
13/2014	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014	28.7.2014	30.7.2014	30.7.2014
14/2014	राजस्थान वित्त विधेयक, 2014	14.7.2014	30.7.2014	30.7.2014
15/2014	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	21.7.2014	31.7.2014	31.7.2014
16/2014	कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	21.7.2014	31.7.2014	31.7.2014
17/2014	औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	25.7.2014	31.7.2014	31.7.2014
18/2014	शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	25.7.2014	31.7.2014	31.7.2014
19/2014	राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014	30.7.2014	01.8.2014	01.8.2014
20/2014	राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014	28.7.2014	01.8.2014	01.8.2014

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य द्वितीय सत्र में सदन में दिनांक 11 जुलाई, 2014 को निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
1. श्री समर्थलाल मीणा	पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा	07.05.2014
2. डॉ. एन. जनार्दन रेड्डी	पूर्व मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश	09.05.2014
3. श्री गोपीनाथ मुण्डे	केन्द्रीय मंत्री एवं पूर्व उप मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	03.06.2014
4. श्री भुवनेश चतुर्वेदी	पूर्व सांसद (राज्य सभा)एवं पूर्व सदस्य, पाँचवीं विधान सभा	02.03.2014
5. श्री गंगाराम चौधरी	पूर्व सदस्य तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं, नौवीं, दसवीं तथा बारहवीं विधान सभा	26.03.2014
6. श्री रूपाराम डूडी	पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा	10.05.2014
7. श्री जितेन्द्र निनामा	पूर्व सदस्य, दसवीं विधान सभा	04.05.2014
8. श्री हीरालाल आर्य	पूर्व सदस्य, छठी, सातवीं, आठवीं एवं नौवीं विधान सभा	18.12.2013
9. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत	पूर्व सांसद (राज्य सभा) तथा पूर्व सदस्य, तीसरी, चौथी एवं सातवीं विधान सभा	24.05.2014
10. बंशीलाल सारस्वत	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	26.02.2014
11. श्री लादूराम सुलानियां	पूर्व सदस्य, दूसरी एवं चौथी विधान सभा	07.05.2014
12. श्री रामनारायण वर्मा	पूर्व सदस्य, दूसरी विधान सभा	09.06.2014
13. हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में व्यास नदी के किनारे हुए हादसे के मृतक		08.06.2014